(13)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 110 / 2020

रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक **26.11.2020**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.10.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 110 / 2020 पर दिनांक 27.10.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1806–1807 दिनांक 27.10.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक आरटीआई / 2019 / 3121 दिनांक 06.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा को इस कार्यालय के पत्र कमांक न्याय / 20 / 2766 दिनांक 03.09.2020 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा पत्रांक आरटीआई / 2019 / 3121 दिनांक 06.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा को उनके कार्यालय के पत्र कमांक न्याय / 20 / 2766 दिनांक 03.09.2020 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं